संख्या:404/2016/1579/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:08 दिसम्बर,2016

विषय : वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या:1008/35-4-2014 दिनांक 14 अगस्त,2014 द्वारा **राष्ट्रीय मार्ग संख्या-92 (नया एन0एच0-719) बेवर-इटावा-ग्वालियर मार्ग को चैनेज किमी0 60.00 से 69.85 के भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** के कार्य की लागत रू. 8672.07 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 3468.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 52/2016/223/35-4-2016 दिनांक 09 फरवरी,2016 द्वारा उक्त कार्य की रू. 11096.34 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-66/2016/ 294/35-4-2016 दिनांक 24 फरवरी,2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 5408.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-215/2016/848/35-4-2016 दिनांक 25 मई,2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 1664.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। मुख्य अभियंता,(मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:8399 बी.जी./7बी.3 त्व0आ0वि0यो0/2016-17 दिनांक 23 नवम्बर,2016 के माध्यम से उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उक्त कार्य की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू. 437.00 लाख (रूपये चार करोड़ सैंतीस लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14 अगस्त,2014/ 09 फरवरी,2016/ दिनांक 24 फरवरी,2016 तथा 25 मई,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/ाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर ापाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ापाजिट क्रेाट लिमिट(ी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभागीय मांग के अनुसार पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:404/2016/1579(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण□लायुक्त, कानपुर ।
7- जिलाधिकारी, इटावा।
8- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in